

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-“अ”

श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आबूपर्वत जिला सिरौही जिनकी जन्मतिथि 05.07.1962 है जो दिनांक 08.11.2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आबूपर्वत जिला सिरौही के विरुद्ध आज तक:-

4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
5. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
6. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।


18.11.21

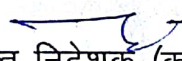
(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/ओम प्रकाश/2021/32 दिनांक : 22.11.21
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, पाली/जोधपुर।
- 02 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) पाली संभाग पाली।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सिरौही।
- 04 प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आबूपर्वत जिला सिरौही
- 05 श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्का. वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष) मॉर्फत प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आबूपर्वत जिला सिरौही
- 06 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 07 विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा।
- 08 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती कृष्णा ढाका, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोड़ा, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर जिनकी जन्मतिथि 30-08-1964 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17-03-1992 है।

श्रीमती कृष्णा ढाका, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोड़ा, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 07-01-2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

प्रारूप-6 में संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र श्रीमती कृष्णा ढाका, प्रधानाचार्य का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरान्त पृथक से जारी किया जायेगा।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/कृष्णा ढाका/2021/19 दिनांक : 22.11.21

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर, संभाग अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोड़ा, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर।
6. श्रीमती कृष्णा ढाका, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोड़ा, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर